न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 133/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
जीवन सिह पुत्र हिंगलाज दान जाति चारण निवासी भाण्डु चारणान तहसील शेरगढ जिला जोधपुर		1– इसुदान पुत्र सुमेरदान जाति चारण निवासी भाण्डु चारणान तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 2– जयपाल पुत्र हिंगलाजदान 3– आवडदान पुत्र हिंगलाजदान 4– भूरकंवर पत्नी हिंगलाजदान 5– जबरदान पुत्र उदयदान 6– श्रवणदान पुत्र सुमेरदान 7– खमाकंवर पत्नी सुमेरदान 8– हरि सिह गोद पुत्र जमनाकंवर सभी जातियान चारण निवासी भाण्डु चारणान तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 9– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 11–11–2014 जो अपील संख्या 22/2014 मे अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री आवडदान उज्जवल अधिवक्ता अपीलांट की ओरं से ।
2–श्री गिरधर सिह अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 9 की ओर से ।
4– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 15–10–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 इसुदान पुत्र सुमेरदान चारण ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर के समक्ष तहसीलदार शेरगढ के बंटवाडा आदेश संख्या 117 दिनांक 30–1–2013 की पालना मे स्वीकृत किये गये म्युटेशन संख्या 932 दिनांक 30–1–2013 के विरूद्ध यह कथन करते हुए पेश की कि पटवार हल्का भाण्डू चारणान के खेत खसरा नंबर 491 रकबा 2.19 बीघा, खसरा नंबर 491/1 रकबा 9.15 बीघा, खसरा नंबर 492 रकबा 0.11 बीधा, खसरा नंबर 493 रकबा 13.05 बीघा, खसरा नंबर 563 रकबा 18.17 बीघा, खसरा नंबर 577 रकबा 15.03 बीघा कुल 6 खसरान की 60.10 बीघा भूमि अपीलांट एवं रेस्पो0 के संयुक्त खातेदारी की थी । उक्त खसरान की भूमि बाबत पक्षकारो के बीच बंटवाडा लिखवाया गया

लेकिन रेस्पो0 (वर्तमान अपीलांट) ने धोखा करते हुए उसके बंटवाडा पर हस्ताक्षर करवा लिये इसलिए बंटवाडा आदेश दिनांक 30–1–13 एवं उसकी पालना मे स्वीकृत म्युटेशन संख्या 932 को निरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–11–2014 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए बंटवाडा आदेश दिनांक 30–1–2013 एवं उसकी पालना मे भरे गये नामांतरकरण संख्या 932 ग्राम भाण्डु को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार शेरगढ को दोनो पक्षो को सुनकर नये सिरे से नामांतरकरण की कार्यवाही करने हेतु रिमाण्ड किया । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता गण उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के नोटिस तामिल करवाये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि पक्षकारो के बीच बंटवाडा दिनांक 30–1–2013 को हुआ था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय मे म्युटेशन की अपील दिनांक 10–7–14 को लगभग 18 माह विलंब से पेश की थी जो मयाद बाहर थी तथा मयाद को क्षमा करने के संबंध मे बिना कोई ठोस आधार के अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को अंदर मयाद सुमार कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि का बंटवाडा पक्षकारो की सहमति से हुआ था तथा बंटवाडा आदेश 30–1–2013 की पालना मे ही अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत हुआ था तथा सभी पक्षकारान बंटवाडा के अनुसार आज भी अलग अलग काबिज है तथा सभी के लिए सुविधाजनक रास्ता भी उसी समय छोड दिया था परंतु इसुदान का यह तर्क गलत है कि उसके बंट की जमीन पर जब वह कब्जा करने गया तब रास्ता नही था, यह तथ्य ग़लत है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि यदि रेस्पो0 संख्या 1 को रास्ते से संबंधित बाधा थी तो रास्ते के लिए भाई मौके पर बैठकर रास्ता प्राप्त करने के लिए आर.टी.एक्ट के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते थे परंतु अपीलाधीन म्युटेशन जो बंटवाडे के अनुसरण मे भरा जाकर स्वीकृत किया था तो बंटवाडे आदेश के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के तहत अपील पेश करनी चाहिये थी परंतु रेस्पो0 संख्या 1 इसुदान ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म्युटेशन अपील पेश की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करने मे कानूनी भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–11–2014 को निरस्त करने तथा म्युटेशन संख्या 932 को बहाल रखने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपील मे वर्णित अपीलाधीन भूमि अपीलांट एवं रेस्पो0 के संयुक्त खातेदारी की थी । उक्त खसरान की भूमि बाबत पक्षकारो के बीच बंटवाडा लिखवाया गया लेकिन रेस्पो0 (वर्तमान अपीलांट) जो पटवारी है, उसने धोखा करते हुए उसके बंटवाडा पर हस्ताक्षर करवा लिये परंतु रेस्पो0 के खेत मे आने जाने के लिए रास्ता नही दिया जाने पर बंटवाडा के आधार पर स्वीकृत हुए म्युटेशन के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील पर पारित किया गया निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो तथा अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात जिनमे अपीलाधीन भूमि के खातेदारान द्वारा तहसीलदार शेरगढ के समक्ष अपने संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का आपसी रजामंदी से बंटवाडा करवाने तथा ईकरारनामा माफिक राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार शेरगढ ने विधिवत सभी पक्षकारो की सहमति से उनके द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए माफिक बंटवाडा राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने के आदेश प्रसारित किये । पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत जोत भूमि के विभाजन के एग्रीमेन्ट के कम संख्या 5 जिसमे खसरा नंबर 493/3 एवं 493/4 सलग्न नक्शानुसार रास्ते के प्रयोजनार्थ दर्शाया हुआ है तथा बंटवाडा मे ये शामलाती अंकित करवाये है । पक्षकारो द्वारा आपसी सहमति से ही प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार तहसीलदार शेरगढ ने उक्त बंटवाडा को तस्दीक कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने के आदेश दिये है तथा उक्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 932 स्वीकृत किया गया था ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त म्युटेशन संख्या 932 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पत्रावली एवं आदेशिकाओ के अवलोकन से यह प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध अपीलांट के नोटिस पर तामिली रिपोर्ट अनुसार उनकी तामिली पर्याप्त नही होते हुए तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं मे पक्षकारो की तामिली के संबंध मे कोई आर्डरशीट ड्रा किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट की उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, प्रथम जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन

निर्णय दिनांक 11–11–2014 को निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारान को नोटिस जारी कर उनको सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पक्षकारो द्वारा तहसीलदार शेरगढ के समक्ष प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव का भी परीक्षण करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे ।

निर्णय आज दिनांक 15–10–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

15/10/18

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर